<u>उत्तर पश्चिम रेलवे</u>

प्रधान कार्यालय
जयपुर

संख्या– उ.प.रे./प्र.का./संरक्षा/संरक्षा परिपत्र/2/25 दिनांक 17.02.2025

मण्डल रेल प्रबंधक– अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर

<u>मुख्यालय संरक्षा सर्कुलर 2/2025</u>

12.13 पेपर लाइन क्लीयर टिकटः–

(क) यह एक प्राधिकार है जो कि भेजने वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा, गाड़ी प्राप्ति स्टेशन से लाइन क्लीयर मिलने के बाद उचित रीति से भरकर, लोको पायलट को दिया जाता है।

(ख) पृथक फार्म टी/सी 1425 अप दिशा के लिए एवं टी/डी 1425 डाउन दिशा के लिए उपलब्ध कराये जाते हैं।

(ग) यह कार्बन प्रक्रिया के द्वारा डुप्लीकेट में बनाये जायेंगे।

12.14 पेपर लाइन क्लीयर टिकट–कैसे तैयार किया जायेगाः– पेपर लाइन क्लीयर टिकट पर निम्नलिखित विवरण लिखे जायेंगेः–

(i) गाड़ी का नम्बर– गाड़ी का विवरण ऊपर पैरा 12.08 में निर्देशानुसार किया जायेगा।

(ii) विवरण – इसे गाड़ी के विभिन्न प्रकार के अनुसार लिखा जायेगा जैसे– मेल, एक्सप्रेस, सवारी, मालगाड़ी या मिश्रित।

(iii) तिथिः तिथि अंकों में लिखी जायेगी, जैसेः– 09.03.07, इस प्रकार नहीं 9 मार्च 2007। यह लाइन क्लीयर संदेश प्राप्त करने की तिथि होगी।

(iv) समयः– समय भी लाइन क्लीयर संदेश प्राप्त करने का समय होगा न कि वह समय जब पेपर लाइन क्लीयर टिकट लिखा गया हो।

(v) जारी करने वाले तथा गंतव्य स्टेशनों के नाम– जारी करने वाला स्टेशन अपनी मुहर लगायेगा जिसमें स्टेशन का पूरा नाम होगा। इसके अतिरिक्त, गंतव्य स्टेशन का नाम भी पूरा लिखा जायेगा और जारी करने वाले तथा गंतव्य स्टेशन दोनों के कूटाक्षर भी बड़े अक्षरों में लिखे जायेंगे।

(vi) अन्तिम गाड़ी संख्या, जो सेक्शन क्लीयर कर चुकी है, और उस स्टेशन का नाम, जहाँ गाड़ी ब्लॉक सेक्शन क्लीयर कर चुकी है, पूर्ण उल्लेखित किया जाना चाहिये।

(vii) प्राइवेट नम्बर– लाइन क्लीयर संदेश के साथ प्राप्त प्राइवेट नम्बर इस आशय के लिए बनाये गये कॉलम में अंकों और शब्दों में इस प्रकार लिखा जायेगा। "32 (तीन दो)"

(viii) स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर – जारी करने वाला ड्यूटी का स्टेशन मास्टर अपने पूरे हस्ताक्षर साफ–साफ करेगा। वह अपने हस्ताक्षर के नीचे अपना पूरा नाम भी बड़े अक्षरों में लिखेगा।

(ix) अन्य पृष्ठांकन– फार्म में पहले से ही वर्णित "ऑन" स्थिति में 'अन्तिम रोक सिगनल को पास करने का प्राधिकार' पर सही का निशान लगायें। अन्य इन्टरलॉक्ड सिगनल/सिगनलों का नाम, यदि ऑन स्थिति में पास करना आवश्यक हो, को भी वर्णित किया जायेगा।

इस फार्म के साथ, कोई अलग से फार्म, ऑन स्थिति में सिगनल को पास करने का प्राधिकार जारी नहीं किया जायेगा।

नोटः–(क) संशोधन/ओवर राइटिंग या किसी प्रकार का रबड़ स्वीकृत नहीं है।

(ख) यदि पेपर लाइन क्लीयर टिकट बनाने में कोई गलती हो जाये तो उस पर आर–पार "रद्द किया गया" (कैसिंल्ड) शब्द लिख लिया जायेगा और यदि टिकट फाड़ दिया गया

हे तो उसके कार्बन कॉपी पर चिपका दिया जायेगा। इसके बाद नया और सही टिकट बनाया जायेगा तथापि यदि कोई लाइन क्लीयर रद्द किया जाये तो टिकट पर तथा कार्बन कॉपी पर भी आर–पार ''रद्द किया गया'' (कैसिंल्ड) शब्द लिखा जायेगा। टिकट कार्बन कॉपी पर चिपका दिया जायेगा।

(ग) लाइन क्लीयर टिकट तब तक नहीं बनाया जायेगा जब तक उसकी आवश्यकता न हो।

(घ) लाइन क्लीयर देने के लिए लाइन क्लीयर उत्तर संदेश प्राप्त होने पर भेजने वाला स्टेशन मास्टर पूर्ववर्ती पैराग्राफों में बताये अनुसार यथास्थिति फार्म टी/सी 1425 या टी/डी 1425 पर पेपर लाइन क्लीयर टिकट बनायेगा और उसे लोको पायलट को सौंपेगा। पेपर लाइन क्लीयर टिकट (अप गाड़ियों के लिए टी/सी 1425 और डाउन गाड़ियों के लिए टी/डी 1425) पर क्रमवार नम्बर लगे होते हैं और वे निम्नलिखित फार्म में छपे होते हैं:–

नमूना

फार्म सं. टी/सी 1425

क्रम सं. ....

उत्तर पश्चिम रेलवे
पेपर लाइन क्लीयर टिकट
(ड्राइवर/रिकार्ड)

अप

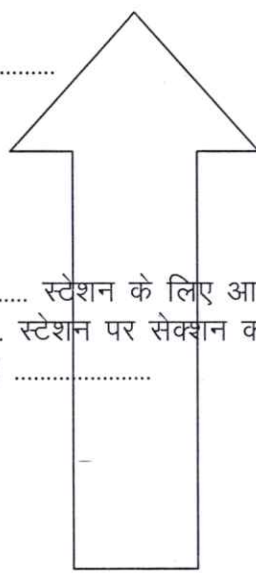

गाड़ी सं. .... अप (विवरण) ....
दिनांक ....
समय .... बजकर .... मिनट
.... स्टेशन मास्टर से

गाड़ी नं. .... अप के ड्राइवर को।

लाइन क्लीयर है और आपको .... स्टेशन के लिए आगे बढ़ने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।
अन्तिम गाड़ी सं. .... ने .... स्टेशन पर सेक्शन क्लीयर किया।
प्राइवेट नं. (शब्दों में) .... (अंकों में) ....

'ऑन' स्थिति में सिगनल पार करने के लिए प्राधिकार

*आपको अन्तिम रोक सिगनल को खतरे में पार करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है, जब सिगनल ब्लॉक उपकरण के साथ इंटरलॉक्ड हो।

....

स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर

स्टेशन मास्टर की मोहर

*जो लागू न हो उसे काट दें।

फार्म सं. टी/डी 1425
क्रम सं. ....

उत्तर पश्चिम रेलवे
पेपर लाइन क्लीयर टिकट
(ड्राइवर/रिकार्ड)

डाउन
गाड़ी सं. .... (विवरण) ....
दिनांक ....
समय .... बजकर .... मिनट
.... स्टेशन मास्टर से
गाड़ी नं. .... डाउन के ड्राइवर को।
लाइन क्लीयर है और आपको .... स्टेशन के लिए आगे बढ़ने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।
अन्तिम गाड़ी सं. .... ने .... स्टेशन पर सेक्शन क्लीयर किया।
प्राइवेट नं. (शब्दों में) .... (अंकों में) ....

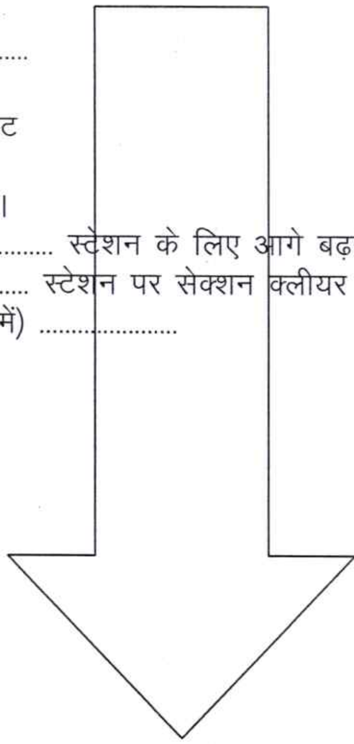

'ऑन' स्थिति में सिगनल पार करने के लिए प्राधिकार

*आपको अन्तिम रोक सिगनल को खतरे में पार करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है, जब सिगनल ब्लॉक उपकरण के साथ इंटरलॉक्ड हो।

....
स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर

स्टेशन मास्टर की मोहर

*जो लागू न हो उसे काट दें।

12.15 पेपर लाइन क्लीयर टिकट देना–

(क) ड्यूटी का स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि जिस ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी जा रही है उस का उचित पेपर लाइन क्लीयर टिकट लोको पायलट को दिया जाता है।

(ख) इंचार्ज स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि उसका प्रत्येक ऐसा कर्मचारी, जिसके हाथों से पेपर लाइन क्लीयर टिकट गुजरता है, अप और डाउन या मुख्य (मेन) और शाखा(ब्रांच) लाइन पर इस्तेमाल पेपर लाइन क्लीयर टिकटों के अन्तर से परिचित है।

(ग) गाड़ी रूकने की परिस्थिति में, पेपर लाइन क्लीयर टिकट प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा लोको पायलट को गाड़ी रूकने के बाद सौंपा जायेगा।

(घ) गाड़ी नहीं रूकने की परिस्थिति में, पेपर लाइन क्लीयर टिकट एक पाउच में स्टेशन बिल्डिंग के सामने से यूनिफार्म पहने किसी एक स्टेशन स्टाफ द्वारा लोको पायलट को सौंपा जायेगा और किसी भी एक इंजन स्टाफ द्वारा पिक अप किया जायेगा। रात के समय एक सफेद रोशनी युक्त हाथ सिगनल लैम्प दिखाया जायेगा ताकि लोको पायलट पाउच को देख सके। (यह नियम लागू नहीं होगा जहाँ डिपार्टिंग सिगनल उपलब्ध हैं)

12.16 पेपर लाइन क्लीयर प्राप्त होने पर लोको पायलट के कर्तव्यः–

(क) लोको पायलट स्वयं इस बात की तसल्ली कर लेंगे कि पेपर लाइन क्लीयर टिकट ऊपर वर्णित पैरा में दिये हुए ब्यौरे के अनुसार पूर्ण है। यदि इनमें से कोई ब्यौरा छोड़ दिया गया हो या गलत लिखा गया हो तो लोको पायलट तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक स्टेशन मास्टर उसे सही पेपर लाइन क्लीयर टिकट न दे दे। वह स्टेशन मास्टर द्वारा पूछे जाने पर बतायेगा कि उसमें क्या गलती है। लोको पायलट पावती के रूप में कार्बन कॉपी पर उसके हस्ताक्षर का पृष्ठांकन करेगा।

(ख) लोको पायलट के जांचने पर सभी पेपर लाइन क्लीयर टिकट जो गलत तैयार किये गये या गलत लिखे गये पाये जाये, उसके द्वारा अपने पास रख लिया जायेगा। ऐसे मामलों में वह स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा जो पैरा 12.14 के अनुसार नया लाइन क्लीयर टिकट सही–सही बनायेगा और उसे लोको पायलट को देगा।

गलत पेपर लाइन क्लीयर टिकट को लोको पायलट अपने पास रखेगा और यात्रा के अन्त में एक विशेष रिपोर्ट सहित सीनियर सेक्शन इंजीनियर (लोको) या उसके सहायक को ही देगा। तब सीनियर सेक्शन इंजीनियर (लोको) विशेष संदेशवाहक द्वारा मण्डल रेल प्रबन्धक (परिचालन) को एक विशेष रिपोर्ट भेजेगा जिसके साथ गलत पेपर लाइन क्लीयर भी संलग्न करेगा और उसकी प्रतिलिपि अपने रिकार्ड के लिए रखेगा।

(ग) यदि कोई पेपर लाइन क्लीयर टिकट किसी अन्य गाड़ी को अग्रता देने के लिए रद्द किया जाना हो तो लोको पायलट उसे स्टेशन मास्टर को लिखित मीमो द्वारा लौटा देगा।

सर्व सम्बन्धित इसकी अनुपालना सुनिश्चित करें।

17/02/25

उप मुख्य संरक्षा अधिकारी (याता.)

प्रतिः–

महाप्रबन्धक के सचिव– महाप्रबंधक उ.प.रे. के सूचनार्थ।

अपर महाप्रबंधक के सचिव– अपर महाप्रबंधक उ.प.रे. के सूचनार्थ।

प्र.मु.बि.इंजी., प्र.मु.परि.प्रब., प्र.मु.या.इंजी., प्र.मु.इंजी, मु.सि.व दूर सं.इंजी, प्राचार्य क्षे.रे.प.सं.– को सूचनार्थ।

वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी :–अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर– को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।